कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

शिविरा/मा/माध्य/अ–3/बोर्ड दिशा–निर्देश/2017 दिनांक: 15/03/17

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)

विषयः– उत्तरपुस्तिका संग्रहण केन्द्रों का प्रतिदिन निरीक्षण एवं आवश्यकतानुसार प्रबोधन करने बाबत्।
प्रसंगः– शासन का आदेश क्रमांकः–प.3(6)शिक्षा–6/2017 दिनांक 06.02.2017 ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक निर्देशों के क्रम में लेख है कि माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 16.01.2017 को आयोजित उच्चाधिकार समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि समस्त राजकीय विद्यालयों मे कार्यरत सभी अध्यापकों को परीक्षक एवं वीक्षण का कार्य अनिवार्य रूप से करने के निर्देश जारी किये जाएं। उक्त क्रम में यह भी निर्णय लिया गया है कि परीक्षा से संबंधित आवंटित कार्य को अस्वीकार करने या नहीं करने पर संबंधित परीक्षक के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी। उक्तानुसार विभाग में कार्यरत समस्त विषयाध्यापकों एवं व्याख्याताओं का डाटा शाला दर्पण से लेकर उत्तर–पुस्तिकाओं की जांच हेतु अनिवार्यतः पंजीकृत माना जाकर परीक्षा सम्बन्धी कार्यों को ड्यूटी का अनिवार्य हिस्सा माना जायेगा।

उक्त निर्णय के क्रम में शासन के निर्देश पत्र क्रमांकः पं.3(7)शिक्षा–6/2015 जयपुर दिनांक 14.02.2017 की पालना में इस वर्ष प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है, जिसके तहत शाला दर्पण में अंकित सभी राजकीय शिक्षको का स्वतः पंजीकरण किया जाकर मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिकाओं का बण्डल निकटतम/जिला स्तर पर स्थापित संग्रहण/वितरण केन्द्र पर बोर्ड द्वारा प्रेषित किया जाकर संबंधित परीक्षकों को SMS एवं पत्र द्वारा सूचना भिजवाई जा रही है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रतिदिन उत्तर–पुस्तिका संग्रहण केन्द्रों का आवश्यक रूप से निरीक्षण करें तथा जिन परीक्षकों द्वारा 03 दिवस में बण्डल प्राप्त नहीं किये जावें, उनको सीधे अथवा संबंधित संस्था प्रधान के माध्यम से अविलम्ब उत्तर–पुस्तिका बण्डल प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रियानुसार अंक बोर्ड को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। यदि उक्त प्रयासों के बाद भी परीक्षकों द्वारा बण्डल प्राप्त नही किया जाता है, तो संबंधित कार्मिक/अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे।

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को उनके पत्रांकः मा.शि.बो/गोपनीय/2017/ दिनांक : 14.03.17 के क्रम में।
3. समस्त मण्डल उप निदेशक (माध्यमिक) को निर्देशों की सुनिश्चित क्रियान्विति के लिए मण्डल परिक्षेत्र में समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
5. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर